आजादविन्द्र सिंह **बनाम** किरणदीप कौर आदि
अन्तर्गत धारा 212 आरटीए नम्बर 56 सन् 2023
जी.सी.एम.एस. नम्बर 2023/331

तामिल हुकम	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
27.06.2025	अधिवक्तागण उपस्थित। उभयपक्ष अधिवक्तागण के द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आरटीए पर की गई बहस पर मनन किया गया व पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थी अधिवक्ता के द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आरटीए में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए अर्ज किया कि जैलो उर्फ गुरमीत कौर द्वारा अपनी मृत्यू से पूर्व प्रार्थी के पिता दर्शन सिंह के पक्ष में वादगत भूमि की एक वसीयत दिनांक 10.09.2002 को रूबरू गवाहन के समक्ष निष्पादित करवा दी थी। इसलिए चक 12 एस की जमाबन्दी सम्वत 2065 ता 68 के खाता संख्या 52/33 के मुरब्बा नम्बर 28 की कुल 3.175 हेक्टैयर भूमि की मूलवाद के निर्णय तक मौका व राजस्व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाए रखे जाने के आदेश दिए जावे। अप्रार्थी अधिवक्ता के द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि जैलो द्वारा कभी भी प्रार्थी दर्शन सिंह के पक्ष में कोई भी वसीयत नहीं करवाई थी। प्रार्थी द्वारा जिस तथाकथित वसीयत का जिक्र किया जा रहा है, वह प्रार्थी ने फर्जी एवं कूटरचित तैयार की है। प्रार्थी दर्शन सिंह का उक्त भूमि पर कभी भी कब्जा नहीं रहा है। इसलिए प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे। लिहाजा तथाकथित वसीयत दिनांक 10.09.2002 से प्रार्थी को कोई हक हिस्सा प्राप्त होना है या नहीं यह मूलवाद में साक्ष्य में तय होना है। अतः हस्तगत प्रकरण के तीनों बिन्दू यथा प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन एंव अपूरणीय क्षति प्रार्थी के पक्ष में बनना प्रतीत होते है। प्रार्थी/वादी प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 बाबत अस्थाई व्यादेश भली–भांति साबित होने से स्वीकार किया जाकर अस्थायी व्यादेश बहक प्रार्थी विरूद्व अप्रार्थीगण इस आशय का पारित किया जाता है कि वे चक 12 एस की जमाबन्दी सम्वत 2065 ता 68 के खाता संख्या 52/33 के मुरब्बा नम्बर 28 की कुल 3.175 हेक्टैयर भूमि की ताफैसला वाद मौका व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाए रखे। पत्रावली इस कदर फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर मूलवाद के साथ संलग्न हो। सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी श्रीकरणपुर (श्रीगंगानगर) उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्री करणपुर (श्री गंगानगर)	